

मुख्य आदेश सं० 200/1997

मुख्य आदेश सं०-193/97 को निम्नलिखित संशोधित किया जाता है :

1. एम एम आर (टी०), आरबी एवं आरबी महानिरीक्षक (उप-महानिरीक्षक) के अधीनस्थ कार्यरत रहेगा और जिले भी विन्दु पर हमारा आदेश आरबी महानिरीक्षक (कार्मिक) के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा । महापक आरबी महानिरीक्षक (कार्मिक) ही हमारे सीधे निबंधों में रहेंगे ।
2. आरबी निरीक्षक, सूबेदार, जॉस्टिसियर एवं पार्लेन्ट का कार्मिक मामला आरबी उप-महानिरीक्षक (कार्मिक) द्वारा केबरेल में होगा ।
3. अवर निरीक्षक एवं उप-महानिरीक्षक (कार्मिक) के कार्मिक मामला का केबरेल आरबी उप-महानिरीक्षक (उप-महानिरीक्षक) द्वारा किया जायेगा ।
4. अवर निरीक्षक एवं आरबी के सीधे के महापक (उप-महानिरीक्षक) का कार्मिक मामला आरबी महानिरीक्षक के महापक (उप-महानिरीक्षक) द्वारा किया जायेगा ।
5. आरबी का कार्मिक मामला महापक आरबी महानिरीक्षक (कार्मिक) द्वारा सम्भालना किया जायेगा ।

13/09/97

महानिरीक्षक एवं आरबी महानिरीक्षक, बिहार ।

जायेंक

महानिरीक्षक एवं आरबी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार,टना ।
टना, दिनांक 12 अक्टूबर, 1997 ।

- प्रतिलिपि:-
1. एमओ आरबी अधीक्षक, रेलवे महित/एजी महादेवटा ।
 2. एमओ आरबी उप-महानिरीक्षक (रेलवे/मेन्स पुलिस महित) ।
 3. एमओ प्रेसीडेंस आरबी महानिरीक्षक ।
 4. एमओ आरबी महानिरीक्षक ।
 5. महानिरीक्षक, सिरेवा रेलवे/महानिरीक्षक, अड्डा अनु० विभाग/महानिरीक्षक, कानपुर, सिरेवा एवं आरबी महानिरीक्षक, अभिलेख/महानिरीक्षक, रेलवे/महानिरीक्षक, सी.आर.टी. विभाग/महानिरीक्षक-प्रवचन विभाग, पुलिस भवन किर्वाण विभाग/महानिरीक्षक, मेन्स पुलिस, बिहार ।
 6. एमओ आरबी महानिरीक्षक के महापक ।
 7. महापक, बिहार सरकार,टना को सूचनाार्थ एवं आकरकक कार्मिकार्थ देत प्रेषित ।

13/09/97

महानिरीक्षक एवं आरबी महानिरीक्षक, बिहार,टना ।

प्रतिलिपि:-मेन्स पुलिस/विभाग/एजी विभाग/महानिरीक्षक,महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार,टना को सूचनाार्थ एवं आकरकक विभागाार्थ ।